महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.10/कारा/लेखा/नाकारा/ 20,741-77 जयपुर दिनांक 7/8/14

उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
समस्त अधीक्षक एवं मण्डलाधिकारी, केन्द्रीय कारागृह
समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, जिला कारागृह
प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
उपाधीक्षक, महिला बन्दी सुधारगृह, जयपुर।
उपाधीक्षक, भण्डार शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर।

विषय :- अनुपयोगी/अधिशेष/नाकारा सामग्री/वाहनों के निस्तारण बाबत।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 16832-72 दिनांक 15.7.14

'''...'''

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.5/भौ.स./नाकारा/14-15/10112-10376 दिनांक 24.07.2014 की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र सं. 7/2014 दिनांक 04.07.2014 एवं इस कार्यालय के उक्त प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में आपके कारागृह एवं अधीनस्थ उप कारागृहों के अधिशेष/अनुपायोगी/अप्रचलित एवं नाकारा भण्डार सामग्री/वाहनों का 100 प्रतिशत निस्तारण दिनांक 31.12.2014 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें एवं निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में प्रत्येक माह की 02 तारीख तक निस्तारित सामग्री/वाहनों की सूचना मुख्यालय कारागार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रानुसार दिनांक 01.08.2014 से दिनांक 31.12.2014 अधिशेष/अनुपायोगी/अप्रचलित एवं नाकारा भण्डार सामग्री/वाहनों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जाना है। जिसका विशेष अंकेक्षण निरीक्षण विभाग द्वारा भी किया जावेगा एवं निर्धारित अवधि में सामग्री का निस्तारण नहीं करने वाले कार्यालयाध्यक्ष पूर्णतया जिम्मैदार होगें। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

भवदीय,

मुख्य लेखाधिकारी
कारागार विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 5/भौ.स./नकारा/14-15/10112-10376 दिनांक :24/07/2014

विभागाध्यक्ष,
समस्त

1 AUG 2014

विषयः– अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनों के निस्तारण की सूचना भिजवाने के क्रम मे।

प्रसंगः– वित्त (उपापन एवं सा.वि. एवं लेखा नियम) विभाग, का पत्रांक एफ. 6 (1) वित्त/ सा.वि.ले.नि./2005/ पार्ट–I दिनाकं 04.07.2014 परिपत्र संख्या 07/2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, वित्त ने समस्त विभागाध्यक्षों/जिला कलेक्टरों/वित्तीय सलाहकारों/मुख्य लेखाधिकारियों को निर्देश प्रदान किये है कि वें अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अनुपयोगी/ अधिशेष/अप्रचलित भण्डार सामग्री/नकारा वाहनों का 100% निस्तारण दिनांक 31.12.2014 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करें।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 07/2014 के अनुसार अनुपयोगी/अधिशेष/ अप्रचलित भण्डार सामग्री एवं नकारा वाहनों के निस्तारण हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रदान किये गये है कि निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित नहीं करने वाले विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जावेगी एवं जिन विभागों मे शत प्रतिशत निष्पादन पूर्ण नही होगा उन विभागों के वित्तीय सलाहकार भी इसके लिए जवाबदेह होंगे।

उक्त परिपत्र द्वारा इस विभाग को दिनांक 01.08.2014 से 31.12.2014 तक किये गये प्रत्येक निष्पादन का विशेष अंकेक्षण एवं जारी निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। वित्त विभाग के परिपत्र की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने हेतु आप अपने विभाग एवं अधिनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना संकलित कर निम्नांकित संलग्न **प्रपत्र 1 व 2 में प्रत्येक माह की 6 तारीख तक** आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का श्रम करें, ताकि प्रगति से प्रमुख शासन सचिव (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर को अवगत करवाया जा सके।

P.T.O.

ए–ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष–0141–2740324, फैक्स 2740324, ई–मेल dir-ins-rj@nic.in
D:\e\Goyal\Backup\OFFICE WORK\Trilok JI\P.V. NAKARA .doc

अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण का विवरण पत्र

प्रपत्र–1

विभाग का नाम ....

माह का नाम ....

(राशि रू. लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम/	1.08.2014 को अनुपयोगी/अधिशेष/अप्रचलित सामग्री का पुस्तक/अनुमानित मूल्य	1.08.2014 के पश्चात् घोषित अनुपयोगी / अधिशेष/अप्रचलित सामग्री का पुस्तक/अनुमानित मूल्य	योग (3+4)	नीलामी से निस्तारित सामग्री का विवरण			शेष सामग्री का पुस्तक/अनुमानित मूल्य जिसका नीलामी के द्वारा निस्तारण नही किया गया	
					नीलामी का दिनांक	नीलाम सामग्री का पुस्तक/अनुमानित मूल्य	नीलामी से प्राप्त राशि	राशि (5-7)	निस्तारण नही करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग								

वाहनों के निस्तारण का विवरण पत्र

प्रपत्र–2

विभाग का नाम ....

माह का नाम ....

(राशि रू. लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम/	अनुपयोगी वाहनों की संख्या	निस्पादन हेतु मोटर गैराज को भिजवाये गये वाहनों की संख्या	विभागीय स्तर पर नीलाम किये गये वाहनों का विवरण			निस्तारण से अवशेष रहे वाहन	
				नीलामी का दिनांक	नीलाम किये गये वाहनों की संख्या	नीलामी से प्राप्त राशि	संख्या	निस्तारण नही होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

कृपया उक्त सूचना पत्र द्वारा तथा विभागीय ई–मेल dir-ins-rj@nic.in पर आवश्यक रूप से भिजवावें ताकि वित्त (सा.वि. एवं ले.नि.) विभाग के परिपत्र संख्या 07/2014 के अनुसरण में आपके विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनुपयोगी/अधिशेष/अप्रचलित भण्डार सामग्री/नकारा वाहनों के निस्तारण की विशेष जांच कराई जा सके।

भवदीय

(आर.के. मीणा)
निदेशक

क्रमांकः एफ. 5/भौ.स./नकारा/14–15/ 10112-10376

दिनांक : 24/07/2014

प्रतिलिपि प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट शासन सचिव, (व्यय) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सा.वि. एवं ले.नि.) विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिस्टम एनेलिस्ट वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
5. वित्तीय सलाहकार,/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त।

निदेशक